



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042024-253707
CG-DL-E-15042024-253707

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1625]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2024/चैत्र 26, 1946

No. 1625]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 15, 2024/CHAITRA 26, 1946

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2024

का.आ. 1710(अ).—ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई के अध्यक्ष को ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई का अध्यक्ष बने रहने के अतिरिक्त जुआना संजीव उप्पल बनाम इंडस मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (अपील सं. 2023 का 135 और इससे संबंधित कार्यवाहियां)', और उर्मिला और कंपनी लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम इंडस मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में (अपील सं. 2023 का 146 और इससे संबंधित कार्यवाहियां) की अपील के मामले में निर्णय देने के लिए ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुंबई के अध्यक्ष का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. 9/11/2022-डीआरटी]

एस. डी. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)****ORDER**

New Delhi, the 12th April, 2024

S.O. 1710(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby authorises the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai to discharge also the functions of the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai for deciding the appeal in the matter of ‘Juana Sanjeev Uppal vs Indus Mechanical Engg. Co. Pvt. Ltd. (Misc. Appeal No. 135 of 2023 and its connected proceedings)’, and Urmila & Co. Ltd. in the matter between Union Bank of India vs Indus Mechanical Engg. Co. Pvt. Ltd. & Anr. (Misc. Appeal No. 146 of 2023 and its connected proceedings) in addition to his being the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai.

[F. No. 9/11/2022-DRT]

S. D. SHARMA, Under Secy.